



संख्या— / जी०एस०(शिक्षा) / A4-144 / 2014

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति ।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून ।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 22 मार्च, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं०-2009 दिनांक 07.11.2019 एवं पत्र सं०-2019, दिनांक 07.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान की गयी है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बलवंत सिंह मुखिया (बी०एस०एम०) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ग्राम-नगला इमरती, रूड़की-लक्सर रोड़, रूड़की जनपद-हरिद्वार।	बी०टैक०:- 1. Civil Enng. 2. Computer Science & Enng. 3. Electrical Enng. 4. Mechanical Enng.	60 60 60 60	2019-20

यू०जी०सी०, नियामक संस्था व विश्वविद्यालय के मानकानुसार सभी मानक पूर्ण होने की दशा में कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित उपबन्धों के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तदनुसूचित कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को अवगत कराये।

3- अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)

सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति ।

संख्या-3504 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / A4-144 / 2014 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)

अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति ।